रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1932] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2014/भाद्र 31, 1936
No. 1932] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2014/BHADRA 31, 1936

गृह मंत्रालय
(स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2014

का.आ. 2454(अ).—विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954, (1954 का 44), अब निरस्त, की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों / उप मंडल मजिस्ट्रेटों को, 1982 की पैकेज डील के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित दिल्ली/ नई दिल्ली की शहरी/शहरीकरण योग्य सीमाओं के अधीन अनुपयोजित भूमियों/भूखंडों (जो मुआवजा पूल का हिस्सा हैं) के संबंध में जिनका स्वामित्व अभी भी दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रदान किया जाना है, उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत ऐसे प्रबंधन अधिकारी को सोंपी गई धारा 19 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन हेतु प्रबंधन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 36/4/2012-आर. एंड एस. ओ.]

केशव कुमार पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(FREEDOM FIGHTERS AND REHABILITATION DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2014

S.O. 2454(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), since repealed, read with Section 6 of the General Clauses Act, 1897, the Central Government hereby appoint all Additional District Magistrates/Sub Divisional Magistrates of Government of NCT of Delhi as Managing Officer for the purpose of exercising powers under section 19, assigned to such Managing Officer by or under the said Act in respect of part of the unutilized lands/plots (forming part of Compensation Pool) within the urban/urbanisable limits of Delhi/New Delhi transferred to the Delhi Development Authority under package deal of 1982, the possession of which is still to be handed over to the DDA.

[No.36/4/2012-R&SO]

K.K. PATHAK, Jt. Secy.

3798 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.